# न्यायालय अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

**पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS**

प्रकरण संख्या : 02/ 2024
जी.सी.एम.एस संख्या : 2024/109

**प्रार्थी/अपीलार्थी :–**

विकास अधिकारी पंचायत समिति
बागीदौरा जिला बांसवाडा।

श्री गौरव चौबीसा, एडवोकेट
निगरानीकर्ता

**बनाम**

**अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–**

1. सरपंच ग्राम पंचायत बडौदिया
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बडौदिया
3. श्रीमती नाथी बाई जैन पत्नी श्री चांदमल जैन
4. श्री चांदमल जैन पिता श्री मीठालाल जैन
5. श्रीमती प्रियंका पत्नी श्री मयंक जैन
6. श्रीमती राजमती पत्नी श्री नितेश जैन
7. श्री नितेश जैन पिता श्री चांदमल जैन
8. सुश्री सेजल जैन पुत्री श्री नितेश जैन
9. श्री तक्ष जैन पिता श्री विकास जैन
10. श्रीमती निलम जैन पत्नी श्री विकास जैन
11. श्री विकास जैन पिता श्री चांदमल जैन
12. निवासियान् बडौदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा

उपस्थित
श्री अनुराग जैन एड्वोकेट रेस्पोडेंट सं. 1,2
श्री राजकुमार जैन एड्वोकेट रेस्पोडेंट सं 3 से 11

## निर्णय

**निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994**

**दिनांक :– 02.06.2025**

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 ग्राम पंचायत बडौदिया के प्रस्ताव आज्ञा सं. 9 दिनांक 20.10.2021 के द्वारा नियम 157 के तहत जारी किये गये पट्टा एवं रजिस्टर्ड पट्टा निरस्त करने हेतु पेश की गई है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम बडौदिया के सर्वे नंबर 809, 810, 811 की भूमि को प्रभारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के तहत आदेश क्रमांक राजस्व/ आबादी विस्तार/ 2021/ 157 दिनांक 12.10.2021 एवं आदेश क्रमांक राजस्व/ आबादी विस्तार/ 2021/ 158 दिनांक 12.10.2021 के तहत भूमि को निर्मित आवासो हेतु आबादी विस्तार के लिये आरक्षित रखे जाने के आदेश दिये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.07.18 10:39:31 IST
Reason: SelfAttested



(अभिषेक गोयल)
अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

है। ग्राम पंचायत को आरक्षित भूमि में से निर्मित भवनो का नियम 157 के तहत पट्टा जारी कर कानूनी भूल की है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा के आदेश दिनांक 13.02.2024 के द्वारा जांच कमेटी गठित की गई थी। जांच कमेटी द्वारा दिये गये पट्टे नियम विरुद्ध पाये जाने से पट्टो को निरस्त कराने की कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा के आदेश क्रमांक जिपबां/ पंचायत/ 2024–25/ 922 दिनांक 31.07.2024 के द्वारा निगरानीकर्ता को अधिकृत किया गया है।

ग्राम पंचायत ने जारी किये गये पट्टो के आधार पर रजिस्टर्ड पट्टा विलेख सं. 4 लगायत 12 के पृथक पृथक पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 26.10.2021 को जारी किये गये है। ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेंट के पक्ष में जारी किये गये पट्टे विधि विरुद्ध होने से उसके आधार पर किया गया पंजीकृत विलेख भी विधि विरुद्ध होने से काबिल खारजी है।

प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 20.10.2021 का है। सर्वे नंबर 809,810 व 811 की भूमि ग्राम पंचायत बडौदिया को आबादी विस्तार हेतु उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा का आदेश 12.10.2021 का है। उक्त सर्वे नंबरो की भूमि को ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित करने की प्रक्रिया के दौरान पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत ने नियम विरुद्ध प्रस्ताव लिया है। वर्तमान में उक्त सर्वे नंबरो की भूमि जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार ग्राम पंचायत के नाम आबादी विस्तार हेतु आरक्षित गैरमुमकिन आबादी दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्मित भवनो के लिए भूमि आवंटन हेतु एवं आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत बडौदिया के लिए भूमि आरक्षीत की गई है। आरक्षित भूमि में रेस्पोडेंट्स के पक्ष में पट्टे जारी करने में पंचायत ने विधिक त्रुटि की है।

अतः निगरानी निगरानीकर्ता विकास अधिकारी पंचायत समिति बागीदौरा स्वीकार फरमावे। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 20.10.2021 एवं उसके आधार पर जारी किये गये पट्टा संख्या 4 लगायत 12 को निरस्त करने के आदेश फरमावे। ग्राम पंचायत बडौदिया द्वारा रेस्पोडेंट के हक में निष्पादित एवं पंजीकृत पट्टा विलेख को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 10.09.2024 को रेस्पोडेंट सं 1 व 2 की ओर से श्री अनुराग जैन अधिवक्ता का एवं रेस्पोडेंट सं. 3 से 11 की ओर से श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी सं. 3 से 11 के अधिवक्ता ने धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र बाबत् प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत किया। दिनांक 01.10.2024 को निगरानीकर्ता के अधिवक्ता की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् प्रारंभिक आपत्ति पर जवाब पेश किया गया। दिनांक 21.10.2024 को उक्त प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया।

दिनांक 25.03.2025 को रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया एवं रेस्पोडेंट सं. 3 से 11 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जवाब एवं बहस पेश की गई।

अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया कि सर्वे नंबर 809,810 व 811 की भूमि को उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा के आदेश क्रमांक 157 दिनांक 12.10.2021 एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.07.18 10:09:31 IST
Reason: SelfAttested



(अभिषेक गोयल)
अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

आदेश क्रमांक 158 दिनांक 12.10.2021 के द्वारा तहसीलदार बागीदौरा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर गांव बडौदिया की उक्त आराजियात श्रीसरकार भूमि में निर्मित आवासो हेतु नियमानुसार पट्टे जारी किये जाने चाही जाने पर उक्त आराजीयात की भूमि को ग्राम पंचायत बडौदिया के नाम आबादी विस्तार हेतु आरक्षित रखे जाने के आदेश दिये गये है। उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा के आदेश दिनांक 12.10.2021 में ग्राम पंचायत बडौदिया को यह अधिकार दिये गये कि उक्त सर्वे नंबरो की ग्राम पंचायत की आबादी भूमि को ग्राम पंचायत नियमानुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान के दौरान पट्टे जारी करे। उक्त आदेश की पालना में ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार निर्मित भवनो के नियम 157 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति को पट्टे जारी किये है। उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा के आदेश दिनांक 12.10.2021 के अनुरुप ग्राम पंचायत बडौदिया द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत राज्य सरकार की गाईड लाईन के अनुसार पट्टे दिये गये है एवं इन पट्टो का ग्राम पंचायत बडौदिया द्वारा निष्पादन एवं पंजीयन दिनांक 26.10.2021 को किया गया है।

उक्त अभियान में ग्राम पंचायत बडौदिया द्वारा गांव के सभी वर्गो के योग्य व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये है। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओ के लक्ष्य को पूरा करने हेतु ग्राम पंचायत की कोरम प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 20.10.2021 एवं प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 20.10.2021 के द्वारा गांव के करीब 155 लोगो को अपने पुराने मकान का स्वामित्व दिये जाने हेतु पट्टे जारी किए गए है। ग्राम पंचायत बडौदिया ने स्वामित्व संबंधी काई त्रुटि नही रहे इस हेतु संबंधित व्यक्ति के पक्ष में पट्टे का पंजीकृत दस्तावेज निष्पादित कर पंजीयन करा दिया है। ग्राम पंचायत बडौदिया की उक्त कार्यवाही में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है एवं नियमानुसार पट्टे दिए गए है। निगरानीकर्ता की निगरानी रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 के विरुद्ध निरस्त करने आदेश फरमावे।

रेस्पोडेंट सं. 3 से 11 की ओर से लिखित जवाब व बहस में कथन किया कि सर्वे नंबर 809, 810 एवं 811 की भूमि उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा के आदेश दिनांक 12.10.2021 के द्वारा भूमि को निर्मित आवासीय हेतु आबादी विस्तार के लिये आरक्षीत रखे जाने के आदेश दिये गये है। निगरानीकर्ता की यह आपत्ति अस्वीकार है कि ग्राम पंचायत को आरक्षीत भूमि में से पट्टे जारी करने का अधिकार नही है। निगरानीकर्ता ने उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा के आदेश दिनांक 12.10.2021 का पूर्ण अवलोकन एवं परिशिलन नही किया है। आदेश में ग्राम पंचायत को स्पष्ट रुप से अधिकार दिये गये है कि ग्राम पंचायत नियमानुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान के दौरान पट्टे जारी करे। उक्त आदेश की पालना में ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार निर्मित भवनो के नियम 157 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये है। इन पट्टो का ग्राम पंचायत बडौदिया द्वारा निष्पादन एवं पंजीयन किया गया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा के आदेश दिनांक 13.02.2024 के द्वारा गठित जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट झूठी एवं बनावटी है। कमेटी द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश एवं दिशा निर्देशो को अनदेखा किया गया है। प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत ग्राम पंचायत बडौदिया की भूमि सर्वे नंबर 809, 810 एवं 811 के संबंध में उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा द्वारा पट्टे दिये जाने को ग्राम पंचायत को अधिकृत किया गया है एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.07.18 10:59:31 IST
Reason: SelfAttested



(अभिषेक गोयल)
अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

ग्राम पंचायत बडौदिया द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं अभियान में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशो के अनुरुप पट्टे दिए गए है। उक्त अभियान में ग्राम पंचायत बडौदिया द्वारा गांव के सभी वर्गो के योग्य व्यक्तियों को पट्टे जारी किए है जिन व्यक्तियो के पुराने मकान गांव में उक्त भूमि में बने हुए थे उनको उनका स्वामित्व देने के उद्देश्य से एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओ के लक्ष्य को पुरा करने हेतु गांव के करीब 100 लोगो को अपने पुराने मकान का स्वामित्व दिये जाने हेतु पट्टे जारी किए गए है। ग्राम पंचायत बडौदिया की उक्त कार्यवाही में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। पट्टे नियमानुसार दिए गए है।

किसी भी आदेश के विरुद्ध निगरानी हेतु 90 दिन की अवधि है। मियाद अधिनियम में निगरानी के लिये 90 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। प्रशासन गांवो के संग अभियान वर्ष 2021 में राज्य सरकार के आदेश एवं निर्देश के अनुरुप पट्टे जारी किए गए है। यह निगरानी पट्टा विलेख की दिनांक 25.10.2021 एवं उसका पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 26.10.2021 के पश्चात् 90 दिन की अवधि गुजर जाने के पश्चात् लंबे अन्तराल के बाद 31.07.2024 को निगरानी पेश की है जो म्याद बाहर है। निगरानी निर्धारित अवधि में पेश नही होकर म्याद बाहर पेश होने के कारण काबिल खारजी है। निगरानीकर्ता ने निगरानी अन्दर म्याद होने का कोई आधार नही बताया है। निगरानी अवधि सुनें जाने के लिए संबंध में विलम्ब अवधि को कन्डोन करने की भी कोई प्रार्थना नही की गई है।

निगरानीकर्ता ने रजिस्टर्ड पट्टा को निरस्त करने हेतु निगरानी आप न्यायालय में पेश की है। रजिस्टर्ड पट्टा निरस्त करने का अधिकार माननीय न्यायालय को नही होकर सिविल न्यायालय को है, जिससे निगरानी माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार की नही होने से काबिल खारजी है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी रेस्पोडेंट सं. 3 से 11 के विरुद्ध निरस्त करने के आदेश फरमावे।

दिनांक 09.04.2025 को उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। 12.05.2025 को उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत पुनः बहस सुनी गई, बहस अधुरी रही। आज दिनांक 02.06.2025 को उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत मजीद बहस सुनी गई। दौराने बहस निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में अकित बिन्दुओ को दौहराते हुए मुख्य रुप से यह कथन किया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा के आदेश दिनांक 13.02.2024 के द्वारा जांच कमेटी गठित की गई थी। जांच कमेटी द्वारा दिये गये पट्टे नियम विरुद्ध पाये जाने से पट्टो को निरस्त कराने की कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा के आदेश क्रमांक जिपबां/ पंचायत/ 2024–25/ 922 दिनांक 31.07.2024 के द्वारा निगरानीकर्ता को अधिकृत किया गया है।

ग्राम पंचायत ने जारी किये गये पट्टो के आधार पर रजिस्टर्ड पट्टा विलेख सं. 4 लगायत 12 के पृथक पृथक पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 26.10.2021 को जारी किये गये है। ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेंट के पक्ष में जारी किये गये पट्टे विधि विरुद्ध होने से उसके आधार पर किया गया पंजीकृत विलेख भी विधि विरुद्ध होने से काबिल खारजी है।

प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 20.10.2021 का है। सर्वे नंबर 809,810 व 811 की भूमि ग्राम पंचायत बडौदिया को आबादी विस्तार हेतु उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा का आदेश 12.10.2021 का है। उक्त सर्वे नंबरो की भूमि को ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित करने की प्रक्रिया के दौरान

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.07.18 10:39:31 IST
Reason: SelfAttested



(अभिषेक गोयल)
अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत ने नियम विरुद्ध प्रस्ताव लिया है। वर्तमान में उक्त सर्वे नंबरो की भूमि जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार ग्राम पंचायत के नाम आबादी विस्तार हेतु आरक्षित गैरमुमकिन आबादी दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्मित भवनो के लिए भूमि आवंटन हेतु एवं आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत बडौदिया के लिए भूमि आरक्षीत की गई है। आरक्षित भूमि में रेस्पोडेंट्स के पक्ष में पट्टे जारी करने में पंचायत ने विधिक त्रुटि की है। अतः निगरानी निगरानीकर्ता विकास अधिकारी पंचायत समिति बागीदौरा स्वीकार फरमावे। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 20.10.2021 एवं उसके आधार पर जारी किये गये पट्टा संख्या 4 लगायत 12 को निरस्त करने के आदेश फरमावे। ग्राम पंचायत बडौदिया द्वारा रेस्पोडेंट के हक में निष्पादित एवं पंजीकृत पट्टा विलेख को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 के अधिवक्ता ने जवाब में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराते हुए मुख्य रुप से यह कथन किया कि सर्वे नंबर 809,810 व 811 की भूमि को उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा के आदेश क्रमांक 157 दिनांक 12.10.2021 एवं आदेश क्रमांक 158 दिनांक 12.10.2021 के द्वारा तहसीलदार बागीदौरा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर गांव बडौदिया की उक्त आराजियात श्रीसरकार भूमि में निर्मित आवासो हेतु नियमानुसार पट्टे जारी किये जाने चाही जाने पर उक्त आराजियात की भूमि को ग्राम पंचायत बडौदिया के नाम आबादी विस्तार हेतु आरक्षित रखे जाने के आदेश दिये गये है। उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा के आदेश दिनांक 12.10.2021 में ग्राम पंचायत बडौदिया को यह अधिकार दिये गये कि उक्त सर्वे नंबरो की ग्राम पंचायत की आबादी भूमि को ग्राम पंचायत नियमानुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान के दौरान पट्टे जारी करे। उक्त आदेश की पालना में ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार निर्मित भवनो के नियम 157 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति को पट्टे जारी किये है। उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा के आदेश दिनांक 12.10.2021 के अनुरुप ग्राम पंचायत बडौदिया द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत राज्य सरकार की गाईड लाईन के अनुसार पट्टे दिये गये है एवं इन पट्टो का ग्राम पंचायत बडौदिया द्वारा निष्पादन एवं पंजीयन दिनांक 26.10.2021 को किया गया है। उक्त अभियान में ग्राम पंचायत बडौदिया द्वारा गांव के सभी वर्गो के योग्य व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये है। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओ के लक्ष्य को पूरा करने हेतु ग्राम पंचायत की कोरम प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 20.10.2021 एवं प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 20.10.2021 के द्वारा गांव के करीब 155 लोगो को अपने पुराने मकान का स्वामित्व दिये जाने हेतु पट्टे जारी किए गए है। ग्राम पंचायत बडौदिया ने स्वामित्व संबंधी काई त्रुटि नही रहे इस हेतु संबंधित व्यक्ति के पक्ष में पट्टे का पंजीकृत दस्तावेज निष्पादित कर पंजीयन करा दिया है। ग्राम पंचायत बडौदिया की उक्त कार्यवाही में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है एवं नियमानुसार पट्टे दिए गए है। निगरानीकर्ता की निगरानी रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 के विरुद्ध निरस्त करने आदेश फरमावे।

रेस्पोडेंट सं. 3 से 11 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि लिखित जवाब एवं बहस निगरानी में प्रस्तुत की गई है उसे ही बहस का आधार माना जावे। आगे कथन किया कि पंजीकृत पट्टा विलेख को राजस्व न्यायालय जिला कलक्टर अथवा किसी निगरानी अधिकारी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.07.18 10:39:31 IST
Reason: SelfAttested



(अभिषेक गोयल)
अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

अपास्त करने की अधिकारिता नही है। रजिस्टर्ड पट्टा मात्र सिविल न्यायालय द्वारा ही अपास्त किया जा सकता है। इस संबध में न्यायिक दृष्टांत पेश किए जो निम्नानुसार है –

2021 (I) DNJ (Raj.) 186 Gopal Patel V/S State of Rajasthan

2016 (2) RRT 1129 Rakesh V/S Sudhir & Ors

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी रेस्पोडेंट सं. 3 से 11 के विरुद्ध निरस्त करने के आदेश फरमावे।

हमने प्रकरण में निगरानीकर्ता एवं रेस्पोडेंट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। बहस में रेस्पोडेंट सं. 3 से 11 के अभिभाषक ने ग्राम पंचायत बडौदिया की आबादी सर्वे नंबर 809, 810 एवं 811 में निर्मित आवासिय मकानो के संबंध में प्रशासन गांवो के संग अभियान में गांव के लाभान्वित व्यक्तियो को नियम 157 के तहत पट्टे जारी किये गए है। उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा के आदेश दिनांक 12.10.2021 के अनुसार भूमि को ग्राम पंचायत बडौदिया के आबादी विस्तार के लिये आरक्षित रखे जाने के आदेश दिये गये है। उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा के आदेश एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान में राज्य सरकार के आदेश एवं निर्देश के अनुपालन में पट्टा जारी किया जाना बताया गया है। रेस्पोडेंट सं. 3 से 11 को जारी किए गए पट्टो का उप पंजीयक कार्यालय बागीदौरा में पंजीयन किया गया है। पंजीकृत दस्तावेजो के संबंध में रेस्पोडेंट सं. 3 से 11 के अभिभाषक ने मुख्य रुप से कानूनी बिन्दू पर बहस के दौरान कथन किया कि पंजीकृत दस्तावेज पट्टा विलेख को राजस्व न्यायालय, जिला कलक्टर अथवा किसी निगरानी अधिकारी को अपास्त करने का अधिकार नही है। रजिस्टर्ड पट्टा मात्र सिविल न्यायालय द्वारा ही अपास्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में रेस्पोडेंट सं. 3 से 11 के अभिभाषक ने न्यायिक दृष्टांत 2021 (I) DNJ (Raj.) 186 Gopal Patel V/S State of Rajasthan के निर्णय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मे विचाराधीन एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नंबर 9438/2018 रिट नं. 4839, 9442, 9450, 9459, 9567, 9569, 9690, 9692, 9879, 11328, 11332, 11371 वर्ष 2018 निर्णय दिनांक 02.02.2021 के द्वारा एक साथ निर्णय किया गया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि रजिस्टर्ड पट्टा केवल सिविल कोर्ट द्वारा ही अपास्त किया जा सकता है। जिला कलक्टर के न्यायालय में विचाराधीन कार्यवाही व नोटिस रद्द करने के आदेश दिये गये है। अन्य न्यायिक दृष्टांत 2016 (2) RRT 1129 Rakesh V/S Sudhir & Ors में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि रजिस्टर्ड पट्टा विलेख राजस्व न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जा सकता है।

वकील रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का परिशीलन किया गया। इस प्रकरण में ग्राम पंचायत ने रेस्पोडेंट सं. 3 से 11 के हक में पट्टा विलेख पंजीयन करा दिया है एवं पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 3 से 11 को स्वामित्व प्रदान किया गया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत इस पत्रावली के तथ्यो पर पूर्णरुप से लागू होते है।

हमने एक अन्य न्यायिक दृष्टांत 2015 (2) RRT 967 Rajasthan High Court Manohar lal V/S District Collector, Barmer & Ors का अवलोकन एवं उसका अध्ययन

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.07.18 10:39:31 IST
Reason: SelfAttested



(अभिषेक गोयल)
अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण के तथ्यो पर लागू होता है। अतः रजिस्टर्ड पट्टा विलेख को अपास्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को होने से यह निगरानी कानूनन पोषणीय मानने योग्य नही है। अतः निगरानी विकास अधिकारी पंचायत समिति बागीदौरा निरस्त की जाती है। विकास अधिकारी पंचायत समिति बागीदौरा/ ग्राम पंचायत बडौदिया यदि रजिस्टर्ड पट्टा विलेख को अपास्त कराना चाहे तो वह अपने स्तर पर निर्धारित समयावधि में सिविल न्यायालय में कार्यवाही करने को स्वतन्त्र है।

इसी अनुरुप प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जाती है। ग्राम पंचायत का रेकार्ड वापस लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज 02.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
(अभिषेक गोयल)
अति.जिला कलक्टर
अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.07.18 10:59:31 IST
Reason: SelfAttested